रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940

No. 06] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 6(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 में एतद्द्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ –** (1) इन विनियमों को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केंद्र सरकार का अनुमोदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 के विनियम 9 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

9. "मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता – जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में उपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो।"

[फा. सं. पी.आर.-12012/4/2017- पी.ई.-1)]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 43 (अ) दिनांक 21 जनवरी, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

(i) सा.का.नि. सं. 889 (अ) दि. 19 नवम्बर, 2015

(ii) सा.का.नि. सं. 919 (अ) दि. 01 दिसम्बर, 2015

(iii) सा.का.नि. सं. 150 (अ) दि. 08 फरवरी, 2016

(iv) सा.का.नि. सं. 662 (अ) दि. 05 जुलाई, 2016

(v) सा.का.नि. सं. 1502 (अ) दि. 11 दिसम्बर, 2017

MINISTRY OF SHIPPING

(PHAD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees for the Jawaharlal Nehru Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement:**—(1) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019;

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely:-

9."Eligibility of Existing Employees for direct recruitment- When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees of the Board of any Major Port Trust possessing the prescribed qualifications and experience may also apply Provided that the age limit in such cases shall not exceed fifty five years".

[F. No. PR-12012/4/2017-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal regulations—Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 43(E) dated 21st January, 2011 and was subsequently amended *vide*:—

(i) G.S.R. No. 889 (E), dated 19th November, 2015;

(ii) G.S.R. No. 919 (E), dated 1st December, 2015;

(iii) G.S.R. No. 150 (E), dated 8th February, 2016;

(iv) G.S.R. No. 662(E), dated 5th July, 2016;

(v) G.S.R. No. 1502 (E), dated 11th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.07 22:29:01 +05'30'